न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 54/2021 G.C.M.S. No. 2021/312 दर्ज दिनांक : 22.09.2021

अपीलार्थिगणः

1. स्वर्गीय भगाराम पुत्र श्री हेमाजी के वारिसानः–
   1/1 जीवाराम पुत्र भगाराम
   1/2 जसाराम पुत्र भगाराम
   1/3 स्वर्गीय पकाराम पुत्र भगाराम के विधिक वारिसान–
   1/3/1 हिमताराम पुत्र श्री पकाराम जातिगण सीरवी निवासी गुडालास, तहसील बाली व जिला पाली।
2. स्वर्गीय मनाराम पुत्र हेमाजी के वारिसान–
   2/1 इन्दाराम पुत्र मनाराम, जाति सीरवी, निवासी दांतीवाड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।
   2/2 छोगाराम पुत्र मनाराम, जाति सीरवी निवासी गुडालास, तहसील बाली व जिला पाली।
   2/3 दुर्गाराम पुत्र मनाराम, जाति सीरवी निवासी गुडालास, तहसील बाली व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. स्वर्गीय पुना उर्फ पुनाराम पुत्र हेमाजी के कायम मुकामः–
   1/1 सोनीबाई पत्नि पुनाराम
   1/2 हंसाराम पुत्र पुनाराम
   1/3 घीसुलाल पुत्र पुनाराम, जातिगण सीरवी निवासी गुडालास, तहसील बाली व जिला पाली।
2. स्वर्गीय देवाराम पुत्र हेमाजी के कायम मुकामः–
   2/1 स्वर्गीय हकाराम उर्फ हकीया के कायम मुकामः–
   2/1/1 शंकरलाल पुत्र हकाराम
   2/2 कीकाराम पुत्र देवाराम
   2/3 मानाराम पुत्र देवाराम, जातिगण सीरवी निवासी गुडालास, तहसील बाली व जिला पाली।
3. मगाराम पुत्र हेमाजी फौत के कायम मुकामः–
   3/1 वचनो पुत्री मगाराम पत्नि रूपाराम, जाति सीरवी, निवासी माताजी का बाड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।
   3/2 रंभा पुत्री मगाराम पत्नि पकाराम, जाति सीरवी, निवासी ढोला, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
4. रामलाल पुत्र मगाराम जातिगण सीरवी निवासी गुडालास, तहसील बाली व जिला पाली।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली, जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2019 बअनवान पुना उर्फ पुनाराम के</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वारिसान बनाम स्व. देवाराम के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 एवं डिक्री दिनांक 13.09.2021

पैरोकार – 1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।

2. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 10.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2019 बअनवान पुना उर्फ पुनाराम के वारिसान बनाम स्व. देवाराम के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 एवं डिक्री दिनांक 13.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया और जाहिर किया कि गुडालास के गत खसरा नम्बर 155, 156, 157 कुल खसरा 3 रकबा 58 बीघा नायो वाला बेरा, जिसके नये नम्बर 206 व 207 रकबा 7.99 हैक्टेयर है, जिसमें पुना के वारिशान का 1/4, देवा के वारिशान 3/4 हिस्सा दर्ज है, लेकिन मौके पर दोनों का बराबर हिस्से के तौर पर मौजूदा है। इसी तरह गुडालास के गत खसरा नम्बर 2, 9, 194, 195 कुल खसरा 4 कुल रकबा 91 बीघा बेरा घांचियों वाला, जिसके नये नम्बर 2, 1, 3 व 4 रकबा 12.68 हैक्टेयर जिसमें भगा के वारिशान का आधा है व मना के वारिसान का आधा है और ऐसा ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ये बेरा घांचियों वाला अपीलाण्ट के कब्जेकाश्त का है। इसी तरह गत खसरा नम्बर 44, 45 कुल खसरा 2 रकबा 49 बीघा 1 बिस्वा बेरा धीमड़ा जिसके नये नम्बर 58, 61, 62, 60, रकबा 2.59 हैक्टेयर जो मगा पुत्र हेमा के बंट में हैं लेकिन वर्तमान में बेचाण करने से रामलाल पुत्र मगाराम दर्ज किया गया। इस तरह मौके पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट परस्पर सहमति से आज से 50 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर काबिज एवं काश्त कर रहे है। इतने लम्बे समय के बाद जो रेस्पोडेण्ट ने दावा करके अपने नाम दर्ज करवाने की और प्रत्येक खसरे में 1/5–1/5 के तौर पर बंट करने की डिक्री चाही है और अधिनस्थ न्यायालय ने इस तरह डिक्री देकर पूरे जमीन व जाव के टुकड़े कर दिये हैं। जिससे अपीलाण्ट को जानबुझकर पिछले 50 वर्षों के कब्जे की भूमि से वंचित करने की मंशा से ऐसा दावा किया है और दावे की ओट में एकतरफा डिक्री पारित की हैं, जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलाण्ट ने अपनी जमींन में सिचाई प्रयोजन कुएं के अलावा ट्यूबबेल भी खुदवा रखा है और मौके पर पूरे जाव में सिंचाई प्रयोजन पाईपलाईन बिछा रखी हैं। जो भी 40 वर्षों से लगातार उपयोग में आ रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय में न तो अपीलाण्ट का जवाब दावा पेश हुआ है न ही साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, न ही रेस्पोडेण्ट के गवाह से कोई जिरह ही हो पायी है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैसा कि पी.डब्ल्यू 1 हंसाराम पुत्र पुनाराम का जो बयान बतौर शपथ पत्र पेश हुआ है, उसका खण्डन भी अपीलाण्ट को करने का अवसर नही दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.02.2021 को निर्णय पारित करते हुए यह आदेशित किया कि प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भेजी जाये, मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 06.04.2021 को पेश हों। लेकिन न तो प्राथमिक डिक्री बनायी गई और बिना बनाये जारी करने का जो आदेश दिया है, वो विधि विरूद्ध है। स्वर्गीय मनाराम पुत्र हेमाजी के वारिश हेजा बेवा मनाराम जो राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। उसको रेस्पोंडेण्ट ने पक्षकार नहीं बनाया है और उसको बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं, जो उसके वैधानिक हक अधिकारों पर गहरा कुठाराघात किया है। अपीलाण्ट ने दिनांक 25.08.2021 को आवेदन संख्या 287 तब पेश किया, जब हल्का पटवारी ने मौके पर नाप चौक करने हेतु एस.डी.ओ. बाली का आदेश दिनांक 23.02. 2021 प्रकट किया, जिस पर निर्णय की जानकारी होते ही नकलें दिनांक 27.08 2021 को प्राप्त की, जिसके पढ़ने पर पता चला 2 कि इस तरह की कोई प्राथमिक डिक्री जारी ही नहीं हुई हैं और बिना प्राथमिक डिक्री के मौके पर बंटवाड़ा करने हल्का पटवारी पहुंचा, तब दिनांक 13.09.2021 को सहायक कलेक्टर बाली को डिक्री पर्चा बनाने के लिए निवेदन किया, जिस पर डिक्री पर्चा वर्तमान सहायक कलेक्टर श्री अतुल प्रकाश आई.ए. एस. ने दिनांक 13.09.2021 को डिक्री पर्चा बनाकर दिनांक 14.09.2021 को आवेदन सख्या 365 प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त हुई, जिस डिक्री के जारी होते ही अपीलाण्ट दिनांक 15.09.2021 को पाली आये, तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवायी। दिनांक 16.09.2021 को बाबा रामदेव जयन्ती का सार्वजनिक अवकाश होने से उक्त अपील दिनांक 17.09.2021 को श्रीमान् के अदालत में पेश है, जो अपील डिक्री पर्चा बनने से डिक्री की पालना में ही अपील का प्रावधान है, इसलिये उक्त अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2021 को स्वीकार कर निर्णीत एवं दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

13.09.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 22.09.2021 को प्रस्तुत की गई।

2. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट सहित दीगर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा सम्मन लेने से इंकार करने तथा प्रतिवादीगण की समुचित तामील उपरांत भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 (रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4) द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अपीलांट सहित प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहें तथा कोई जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया तथा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात साक्ष्य ली जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की हैं।

3. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर 50 वर्ष से भी अधिक समय से बंटी हुई हैं तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट सहमति से उसी अनुरूप मौके पर काबिज काश्त है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक खसरे में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 के तौर पर विभाजन करने की डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं। जो विधिसम्मत नहीं हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में ऐसा कोई स्वीकार योग्य दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हों कि वादग्रस्त आराजी का अपीलांट व रेस्पोंडेंट के मध्य सहमति से 50 वर्ष पूर्व से विभाजन हो रखा हों। अतः अपीलांट का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक खसरे के प्रत्येक भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक, हिस्से तक अधिकार व कब्जा माना जाता है। साथ ही प्राथमिक डिक्री की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर कब्जेकाश्त आदि को भी ध्यान में रखा जाता है तथा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करते समय विभाजन के रूप में संपूर्ण खसरा या आंशिक खसरा किसी एक या अधिक सहखातेदार के हिस्से में रखा जा सकता है। जोकि अंतिम डिक्री से संबंधित है। अतः प्राथमिक डिक्री के स्तर पर किसी विशिष्ट खसरे को किसी/किन्हीं विशिष्ट सहखातेदार के हिस्से में रखे जाने का आदेश नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जा सकता। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलांट अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2019 बअनवान पुना उर्फ पुनाराम के वारिसान बनाम स्व. देवाराम के वारिसान वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 एवं डिक्री दिनांक 13.09.2021 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक **10.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली